

छत्तीसगढ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की ऑनलाईन योजनाएँ

cg handicrafts.cgstate.gov.in

06. शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता:—

प्रदेश के विभिन्न शिल्पों में कार्यरत शिल्पी, शिल्पगुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार, कला श्री पुरस्कार एवं तुलसी सम्मान से सम्मानित हैं, जिनके द्वारा कला एवं संस्कृति में सम्मान पाकर अपने प्रदेश एवं राष्ट्र का नाम गौरवान्वित किया है, ऐसे सम्मान प्राप्त शिल्पियों को वृद्धावस्था में असहाय होकर रोजगार के लिए भटकना ना पड़े इस उद्देश्य से 60 वर्ष आयु के पश्चात् जीवनकाल तक राशि रूपये 5000/— प्रतिमाह मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा शिल्पी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी/पति को जीवनकाल तक 2500/— अनुग्रह राशि की आर्थिक सहायता जीवन पर्यन्त प्रदान किया जाता है।

मासिक आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र

निराकरण की समय
सीमा 30 दिवस

पासपोर्ट साइज
का रंगीन
फोटोग्राफ्स
अभिप्रमाणित कर
लगावें।

प्रति,

प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता का लाभ दिये जाने आवेदन पत्र।

महोदय,

1. शिल्पी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. शिल्पी का पूर्ण पता, मोबाईल नं. (राशन कार्ड अथवा मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) :
4. जन्मतिथि :
3. जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
6. शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो अथवा: उम्र के सत्यापन हेतु अनुबंध पत्र संलग्न करें) :
7. शिल्पी की वार्षिक आय :
8. शिल्प का नाम :
9. छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड में शिल्पी पंजीयन क्रमांक/दिनांक :
10. कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) में शिल्पी पंजीयन क्रमांक/दिनांक :
11. शिल्प में पुरस्कार प्राप्त करने का प्रकार :
12. शिल्प में पुरस्कार प्राप्त करने का वर्ष :
13. विशयांकित योजना का लाभ अन्य किसी शासकीय संस्था से यदि प्राप्त किया जा रहा है तो उसका विवरण :

14. बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक का नाम :

उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 01 से 14 तक की समस्त जानकारी हेतु मेरे दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न है तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

उपरोक्तानुसार शिल्पी द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया गया है तथा शिल्पी को उक्त योजना से लाभान्वित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड